राजस्थान सरकार
कार्मिक (ख–3, सुरक्षा) विभाग

क्रमांकः प0 13(3)/कार्मिक/ख–3/सुरक्षा/2011 जयपुर, दिनांक 8 AUG 2018

**परिपत्र**

शासन सचिवालय एक महत्वपूर्ण स्थान होकर राज्य सरकार का प्रशासनिक केन्द्र है, जहॉ अत्यधिक संख्या मे प्रतिदिन आगन्तुक आते हैं। सचिवालय मे पदस्थापित अधिकारीगण/कर्मचारीगण और आगन्तुकों के वाहनों की सही प्रकार से पार्किंग सचिवालय प्रशासन के लिये एक प्रमुख समस्या है और यह आवश्यक है कि शासन सचिवालय परिसर मे वाहनों के प्रवेश को यथा सम्भव न्यूनतम स्तर पर रखा जावे। इस सम्बध मे पूर्व मे विभागीय परिपत्र संख्या F04(01)DOP/B-3/Security/2005 दिनांक 18.11.2005 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। पूर्व परिपत्र दिनांक 18.11.2005 के बाद वाहनों की बढी हुई संख्या और विभिन्न निर्माण कार्यो के कारण सचिवालय परिसर मे कम होती जा रही पार्किंग सुविधा के मध्यनजर पूर्व परिपत्र दिनांक 18.11.2005 के अतिक्रमण मे निम्न प्रकार निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. शासन सचिवालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को वाहन का रजिस्ट्रेशन स्वयं के नाम से होने पर ही वाहन का प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा। किसी भी परिवार के सदस्य के नाम से वाहन का रजिस्ट्रेशन होने पर वाहन का प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जावेगा।
2. राज्य सरकार के विभागों को विभाग की क्षमता के अनुसार तीन से सात वाहनों के प्रवेश पत्र जारी किये जावेगें।
3. शासन सचिवालय के बाहर पदस्थापित अधिकारियों के निजी वाहनों के लिये प्रवेश पत्र जारी नहीं किये जावेगे।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू माने जावेंगे।

(विद्या विजय काला)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. समस्त विशिष्ठ सहायकगण/निजी सचिवगण, माननीय मंत्रीगण।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिवगण/प्रमुख शासन सचिवगण/शासन सचिवगण।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
5. समस्त विभागाध्यक्षगण, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टरगण, राजस्थान।
7. समस्त संयुक्त शासन सचिव/ वरिष्ठ शासन उप सचिव/ शासन उप सचिव।
8. समस्त अनुभाग।
9. रक्षित पत्रावली।

सहायक शासन सचिव